# उ.प्र. में ₹15,765 करोड़ के निवेश से स्थापित होंगी 8 औद्योगिक परियोजनाएं

- ***मा. मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुए एम.ओ.यू., प्रदान किए गए आवंटन–पत्र***
- ***मा. मुख्यमंत्री ने उद्योगों के लिए नये सिंगल विण्डो वेब–पोर्टल का किया शुभारम्भ***

**लखनऊ, 14 दिसम्बर 2013:**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निवेश एवं उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु उठाये गए विभिन्न कदमों व नवसृजित नीतियों का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। आज **मा. मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव** की गरिमामयी उपस्थिति में एक सादे किन्तु प्रभावपूर्ण समारोह में **उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) के प्रबन्ध निदेशक–मनोज सिंह एवं टी.एच.डी.सी. इण्डिया लि. तथा जगदीशपुर पेपरमिल के अधिकारियों के मध्य क्रमशः तापीय विद्युत संयंत्र तथा पेपरमिल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए तथा पांच औद्योगिक इकाइयों एवं एक तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिए भूमि के आवंटन–पत्र दिए गए। सीमेंट, विद्युत उत्पादन, मक्का–प्रसंस्करण, कागज़, दुग्ध उत्पादन तथा प्लास्टिक तकनीकी शिक्षा** आदि क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली इन परियोजनाओं के स्थापित होने से लगभग **29,000 प्रत्यक्ष रोज़गार** के नवीन अवसर सृजित होंगे। साथ ही **मा. मुख्यमंत्री** ने उद्यमियों एवं उद्योगों की समस्याओं के समयबद्ध व पारदर्शी निराकरण करने के उद्देश्य से **उद्योग बन्धु द्वारा तैयार किया गयी वेब–आधारित उ.प्र. औद्योगिक शिकायत निराकरण प्रणाली (U.P. Industrial Grievance Redressal System)का भी शुभारम्भ** किया।

**आज हस्ताक्षरित एम.ओ.यू एवं परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रदान किए गए आवंटन–पत्रों से संबंधित कुल ₹15765.70 करोड़ के निवेश** में से ₹10,270 करोड़ का निवेश तापीय विद्युत उत्पादन संयत्र, ₹1540.70 करोड़ सीमेंट उत्पादन, ₹3,700 करोड़ कागज़ उत्पादन, ₹140 करोड़ दुग्ध उत्पादन, ₹105 करोड़ मक्का प्रसंस्करण एवं ₹10 करोड़ का निवेश प्लास्टिक तकनीकी शैक्षिक संस्थान में होगा।

इस अवसर पर मा. मुख्यमंत्री के अतिरिक्त **मा. मंत्री–परिषद के माननीय मंत्रियों सहित अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त–आलोक रंजन; प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास–डॉ. सूर्य प्रताप सिंह एवं कई राजकीय विभागों के प्रमुख सचिवों** व उच्चाधिकारियों ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

जिन औद्योगिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में आज समझौता ज्ञापन का निष्पादन हुआ अथवा भूमि आवंटन पत्र का वितरण किया गया वे सभी औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं या वृहद उद्योग से सम्बन्धित हैं तथा सभी परियोजनाएं यूपीएसआईडीसी की भूमि पर विकसित की जाएंगी।

1. **प्रथम एम.ओ.यू.** के तहत उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम **टी.एच.डी.सी. इण्डिया लि. के साथ खुर्जा में 1320 मेगावाट की तापीय विद्युत संयत्र** की स्थापना की जाएगी। इसके लिए खुर्जा में **1200 एकड़ भूमि** यूपीएसआईडीसी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग–91 पर खुर्जा–अलीगढ़ के स्ट्रेच पर खुर्जा से 10 किमी की दूरी पर स्थित है। एम.ओ.यू. के अन्तर्गत यूपीएसआईडीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में समय–समय पर जो भी मांग की जाएगी वह कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। **₹ 10,270करोड़** के निवेश से विकसित की जाने वाली परियोजना में लगभग **5000** लोगों को रोज़गार मिलेगा।
2. **दूसरा एम.ओ.यू.** हिन्दुस्तान पेपर मिल की सहायक इकाई **जगदीशपुर पेपर मिल** के द्वारा **औद्योगिक क्षेत्र उतेलवा में पेपरमिल की स्थापना** हेतु किया गया। इस इकाई को **₹3,700 करोड़** के निवेश से विकसित किया जाएगा तथा इससे लगभग **10,000** व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने की संभावना है।
3. **औद्योगिक क्षेत्र उमरदा, कन्नौज** में **30 एकड़** भूमि पर **₹105 करोड़** की लागत से **वरदान इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.** (रोहताज ग्रुप) द्वारा मक्का आधारित परियोजना की स्थापना करने के लिए भूमि का **आवंटन–पत्र** प्रदान किया गया। जिसमें मक्के से स्टार्च बनाने का प्रस्ताव है। इसमें कुल 650 लोगों को रोज़गार मिलेगा।

4. यूपीएसआईडीसी के **टिकरिया औद्योगिक क्षेत्र, जनपद अमेठी** में सीमेंट कम्पनी **ए.सी.सी. द्वारा अपनी वर्तमान 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता को बढ़ाकर 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु ₹650 करोड़ का पूँजी निवेश प्रस्तावित है तथा इससे लगभग 500** व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। आज यूपीएसआईडीसी द्वारा ए.सी.सी. को वर्तमान में उपलब्ध 3 एकड़ भूमि का **आवंटन–पत्र** प्रदान किया गया, जबकि विस्तार हेतु वॉछित 200 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जायेगी।

5. **श्री सीमेंट लि.** द्वारा **सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र, बुलन्दशहर में ₹400 करोड़** की लागत से **30 एकड़** भूमि पर **सीमेन्ट ग्राइन्डिग इकाई** स्थापित की जाएगी। **आज भूमि का आवंटन–पत्र प्राप्त करने वाली** इस इकाई के चालू होने से **500** व्यक्तियों को रोज़गार मिलने की सम्भावना है।

6. **बांदा में भूरागढ़ औद्योगिक क्षेत्र** में **आम्रपाली पावर एण्ड सीमेन्ट प्रा. लि**. द्वारा **₹490 करोड़** की लागत से **29.33 एकड़** भूमि पर सीमेन्ट एवं **सीमेन्ट क्लींकर ग्राईडिंग इकाई** की स्थापना की जाएगी, जिससे **600** व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। इसके लिए भी आज आम्रपाली पावर एण्ड सीमेन्ट प्रा. लि. को भूमि **आवंटन–पत्र** प्रदान किया गया।

7. **औद्योगिक क्षेत्र करखियॉव, वाराणसी में 30 एकड़ भूमि पर ₹140 करोड़** रूपये की लागत से **मेसर्स अमूल** के द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की परियोजना स्थापित करने के लिए भूमि का **आवंटन–पत्र** प्रदान किया गया। इस परियोजना से **11,500** व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

8. उपरोक्त उद्योगों के अतिरिक्त **सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी (सीपेट) द्वारा ₹10 करोड़** के निवेश से **प्लास्टिक आधारित तकनीकी शैक्षिक संस्थान** की स्थापना हेतु **प्लास्टिक सिटी, दिबियापुर, औरैया** में **5 एकड़** भूमि का **आवंटन–पत्र** भी प्रदान किया गया।

9. इस समारोह में **मा. मुख्यमंत्री** ने उद्योगों एवं उद्यमियों को एक ही बिन्दु पर सभी सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से **उद्योग बन्धु द्वारा नवसृजित** ऑनलाइन अभिनव सेवा– **उ.प्र. औद्योगिक शिकायत निराकरण प्रणाली (U.P. Industrial Grievance Redressal System)** का उद्घाटन भी किया, जो **(http://grievance.udyogbandhu.com)** यू.आर.एल. पर 24 घण्टे उपलब्ध है। इस नवीन ऑनलाइन सुविधा के अन्तर्गत उद्यमी द्वारा पंजीकरण कर अपनी शिकायत या समस्या दर्ज़ कराते ही उद्यमी को एक यूनीक टोकन नम्बर (**UTN**) मिलेगा तथा इसकी सूचना व विवरण उद्योग बन्धु में स्थापित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त हो जाएगा, जो शिकायत को संबंधित विभाग को निर्दिष्ट समयावधि में निराकरण हेतु भेज देगा। प्राप्त यूटीएन को ऑनलाइन दर्ज कर इस प्रणाली में उद्यमी की समस्या के निराकरण हेतु कृत कार्यवाई व अद्यतन स्थिति को शिकायतकर्ता, जान सकेगा। साथ ही शासन के उच्चाधिकारी भी शिकायतों की स्थिति देख सकेंगे। यदि उद्योग बन्धु या सम्बन्धित विभाग के अधिकारी इस प्रणाली के तहत दर्ज शिकायत पर अपेक्षित कार्यवाई समय से नहीं करेंगे तो उद्योग बन्धु के संयुक्त अधिशासी निदेशक के पास ई–मेल एलर्ट चला जाएगा तथा एक निश्चित समयावधि में समस्या का निवारण न होने पर उद्योग बन्धु के अधिशासी निदेशक के पास ई–मेल एलर्ट जाएगा, जो यथोचित कार्यवाई करेंगे।

**प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास व अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु–डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने बताया** कि उद्यमियों द्वारा स्वीकृतियों व अनापत्तियों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध ऑनलाइन ***निवेश मित्र*** **सुविधा (nm.udyogbandhu.com) का पुनर्जीवीकरण** कर इसको अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लगाने के इच्छुक उद्यमियों द्वारा पंजीकरण हेतु चालित वेबसाइट **ई–उद्योग** से जोड़ दिया गया है, जिससे अब एमएसएमई भी इसका अधिकतम लाभ उठा पाएंगे। **उन्होंने बताया** कि द्वितीय चरण में एक ऑनलाइन निवेशक सुविधा पटल **(Investor Facilitation Portal)** की शुरूआत की जाएगी, जिसके तहत उद्योग व उद्यमी सभी वॉंछित सूचनाएं, नीतियॉं, शासनादेश तथा राज्य की जिलेवार सूचना को एक ही बिन्दु पर प्राप्त कर सकेंगे।

———————